ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997
Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (I):133-139

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक न्याय: संवैधानिक और विधिक परिप्रेक्ष्य

दिनेश कुमार एवं सियाराम शुक्ल
नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवां,
जमुनीपुर, दुबावल, प्रयागराज (उ.प्र.)
Email: dineshkumar788057@gmail.com

Received: 04.12.2024 Revised:02.03.2025 Accepted: 13.04.2025

सार

यह शोध पत्र सामाजिक-राजनीतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता की उभरती गतिशीलता की जांच करता है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है, जो अक्सर लैंगिक समानता के साथ जुड़ती है, जिससे विधिक और नैतिक दुविधाएं पैदा होती हैं। यह शोध पत्र धार्मिक स्वायत्तता और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन का विश्लेषण करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक ढांचे, न्यायिक व्याख्याओं और तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं की खोज करता है। यह रूढ़िवादी परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्षों को संबोधित करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि समावेशी नीतियों को बढ़ावा देता है जो धार्मिक विविधता और लैंगिक समानता दोनों का सम्मान करते हैं।

मुख्य शब्द: *धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन, महिला अधिकार*

परिचय

धार्मिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिलाओं में से एक है और इसे सार्वभौमिक रूप से एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधिक साधन ,जैसे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा ,(ICCPR)हस्तक्षेप के बिना व्यक्तियों के अपने विश्वासों का अभ्यास करने ,व्यक्त करने और प्रचार करने के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये प्रावधान मानव गरिमा और सांस्कृतिक पहचान के एक आवश्यक पहलू के रूप में धार्मिक स्वायत्तता की सार्वभौमिकता को रेखांकित करते हैं। हालाँकि ,यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और अक्सर लैंगिक समानता जैसे अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण अधिकारों के साथ जुड़ जाता है ,जिससे जटिल विधिक ,नैतिक

और सामाजिक दुविधाएँ पैदा होती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच घर्षण विशेष रूप से उन संदर्भों में स्पष्ट हो जाता है जहाँ पारंपरिक प्रथाएँ या सिद्धांत भेदभावपूर्ण मानदंडों को कायम रखते हैं।

भारत जैसे बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक समाजों में, अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित विविध धार्मिक समुदायों के सह-अस्तित्व से यह तनाव और बढ़ जाता है। जबकि भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता दोनों की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25-28 (जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं) और अनुच्छेद 14-15 (जो समानता को बढ़ावा देते हैं और भेदभाव को रोकते हैं) के सह-अस्तित्व के परिणामस्वरूप अक्सर परस्पर विरोधी व्याख्याएँ होती हैं। धार्मिक परंपराओं में निहित व्यक्तिगत कानून अक्सर पितृसत्तात्मक संरचनाओं को दर्शाते हैं, जिससे ऐसी प्रथाएँ बनती हैं जो विरासत, विवाह और धार्मिक स्थानों तक पहुँच जैसे मामलों में महिलाओं को हाशिए पर रखती हैं।

यह शोधपत्र इन जटिलताओं पर गहराई से विचार करता है, विश्लेषण करता है कि विधिक ढाँचे और न्यायिक व्याख्याएँ धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बीच तनाव को कैसे संबोधित करती हैं। यह उभरते सामाजिक-राजनीतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय परिदृश्यों का भी पता लगाता है जो धार्मिक प्रथाओं और लैंगिक समानता के लिए उनके निहितार्थों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से, शोध संवैधानिक सिद्धांतों, जमीनी स्तर के नारीवादी आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बीच गतिशील अंतर्संबंध को उजागर करता है।

धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के सामाजिक-राजनीतिक आयाम

संवैधानिक ढांचा

भारतीय संविधान एक सशक्त दस्तावेज है जो बहुलवादी समाज के ढांचे के भीतर विविध और कभी-कभी परस्पर विरोधी अधिकारों को सुसंगत बनाने का प्रयास करता है। धार्मिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25-28 के तहत संरक्षित किया गया है, जो व्यक्तियों और समूहों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं, भेदभाव को रोकते हैं और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन करता है। महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली प्रथाओं को विधिक चुनौतियों में यह शर्त महत्वपूर्ण रही है। उदाहरण के लिए, पितृसत्तात्मक परंपराएँ अक्सर धार्मिक सिद्धांतों का उपयोग ट्रिपल तलाक और मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सही ठहराने के लिए करती हैं जो महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकती हैं। अनुच्छेद 25 के सशर्त खंडों ने अदालतों और विधायकों को इन प्रथाओं पर सवाल उठाने और उन्हें सुधारने में सक्षम बनाया है। हालाँकि, ऐसे

हस्तक्षेपों को अक्सर धार्मिक समुदायों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपनी स्वायत्तता का उल्लंघन मानते हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप

भारत में न्यायपालिका ने धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संघर्ष को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से, न्यायालयों ने भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की है।

सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है **शायरा बानो बनाम भारत संघ** (2017), जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने माना कि यह प्रथा अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि धार्मिक प्रथाएँ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। इस फैसले ने न केवल लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया, बल्कि लैंगिक भेदभाव को बनाए रखने वाले व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करने में न्यायपालिका की भूमिका को भी उजागर किया।

एक अन्य ऐतिहासिक मामला, **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य** (2018), सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह का बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि धार्मिक परंपराओं में निहित लिंग-आधारित प्रतिबंध संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत थे। इस निर्णय ने धार्मिक स्वतंत्रता की पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को चुनौती देने और धार्मिक स्थानों के भीतर समावेशिता को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। सबरीमाला निर्णय का प्रतिरोध , व्यापक विरोध और समीक्षा के लिए याचिकाओं द्वारा चिह्नित, गहराई से स्थापित धार्मिक परंपराओं के भीतर लिंग-संवेदनशील सुधारों को लागू करने की जटिलताओं को दर्शाता है।

नारीवादी आंदोलन और विधिक सुधार

जमीनी स्तर पर नारीवादी आंदोलनों ने भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने और लिंग-संवेदनशील विधिक सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आंदोलन धार्मिक परंपराओं में निहित पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देते हैं और आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की मांग करते हैं। प्रार्थना का अधिकार अभियान इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस आंदोलन का उद्देश्य शनि मंदिर जैसे मंदिरों के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती देना था। शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर । सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर लामबंदी का लाभ उठाकर, अभियान ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और धार्मिक संस्थानों पर अधिक

समावेशी प्रथाओं को अपनाने के लिए दबाव डाला। न्यायिक सक्रियता ने इन नारीवादी आंदोलनों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण विधिक सुधारों को उत्प्रेरित किया है। **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के** तहत ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करना ऐसा ही एक सुधार है। यह कानून, शायरा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। बानो ने उदाहरण दिया है कि कैसे जमीनी स्तर पर समर्थन और न्यायिक हस्तक्षेप से नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। समान उत्तराधिकार अधिकार, धार्मिक शिक्षा तक पहुंच और धार्मिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के समन्वय का समर्थन करने वाले अभियान भारत में लिंग और धर्म पर चर्चा को नया रूप दे रहे हैं।

तकनीकी प्रगति और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उदय ने धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत, समर्थन और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। ये तकनीकें महिलाओं सहित हाशिए पर पड़ी आवाज़ों को धार्मिक चर्चा में भाग लेने और सुधारों की मांग करने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती हैं। हालाँकि, वे कट्टरपंथी विचारधाराओं और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रसार जैसी चुनौतियाँ भी पेश करती हैं, जो धार्मिक संदर्भों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति में बाधा डालती हैं।

डिजिटल स्पेस और धार्मिक समानता

सोशल मीडिया, वर्चुअल फ़ोरम और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के आगमन ने व्यक्तियों और समूहों के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने और मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने के लिए नए रास्ते खोले हैं। इन स्थानों ने धार्मिक प्रवचन को लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी चिंताओं को आवाज़ देने और समावेशिता का समर्थन करने में मदद मिली है। महिलाओं ने, विशेष रूप से, धार्मिक सिद्धांतों की पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को चुनौती देने और प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग किया है।

#MosqueMeToo जैसे अभियान , जिसने धार्मिक स्थलों पर लिंग आधारित हिंसा के मामलों को उजागर किया , इस बात का उदाहरण है कि कैसे डिजिटल समर्थन वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देती है और प्रगतिशील सुधारों को आगे बढ़ाती है। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस आंदोलन ने महिलाओं को तीर्थयात्रा के दौरान उत्पीड़न के अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पवित्र स्थलों में सुरक्षा और लैंगिक न्याय के बारे में दुनिया भर में बातचीत शुरू हुई। इसी तरह, भारत में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने प्रार्थना के अधिकार जैसे अभियानों की आवाज़ को बढ़ाया है, जो मंदिरों और मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थलों तक महिलाओं की पहुँच का समर्थन करता है। ये पहल भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और धार्मिक ढाँचों के भीतर लिंग-संवेदनशील सुधारों को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित

करती हैं।

समावेशी चुनौतियाँ

डिजिटल स्पेस समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए प्रजनन स्थल भी बनते हैं जो लिंग-संवेदनशील सुधारों का विरोध करते हैं। धार्मिक कट्टरपंथी समूह धार्मिक सिद्धांतों की रूढ़िवादी व्याख्याओं का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हैं, अक्सर उन महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो प्रगतिशील बदलाव का समर्थन करती हैं। ये समूह ऐसे प्रतिध्वनि कक्ष बनाते हैं जो पितृसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत करते हैं, धार्मिक संदर्भों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर करते हैं।

डिजिटल धार्मिक समर्थन में शामिल महिलाओं के सामने ऑनलाइन उत्पीड़न एक और बड़ी चुनौती है। सुधारों का समर्थन करने वाली महिलाओं को अक्सर नफ़रत भरे भाषण, धमकियों और साइबरबुलिंग का सामना करना पड़ता है, जो उनकी भागीदारी को रोकता है और असहमति की आवाज़ों को दबा देता है। उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक या मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को अक्सर रूढ़िवादी गुटों द्वारा लक्षित उत्पीड़न अभियानों का सामना करना पड़ता है।

नीति अनुशंसाएँ

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच विकसित हो रहे अंतर्संबंध के लिए बहुआयामी नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें विधिक ढाँचों को मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और लैंगिक-संवेदनशील पर्यावरणीय नीतियों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

विधिक ढांचे को मजबूत करना

लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक समुदायों के बीच व्यक्तिगत कानूनों में व्यापक बदलाव ज़रूरी है। जबकि भारत अपने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित व्यक्तिगत कानून अक्सर विवाह, विरासत और हिरासत जैसे क्षेत्रों में लिंग-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के माध्यम से इन कानूनों में सामंजस्य स्थापित करके देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है। **शायरा बानो बनाम भारत संघ** (2017) और **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य** (2018) जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील फैसले इन सुधारों के लिए

न्यायिक मिसाल और नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं।

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना

डिजिटल युग ने धार्मिक चर्चा को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे महिलाओं को धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। हालाँकि, डिजिटल विभाजन एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है, खासकर हाशिए के समुदायों की महिलाओं के लिए। इन समूहों में **महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना** उन्हें धार्मिक प्रथाओं में शामिल होने, सुधारों का समर्थन करने और स्वतंत्र रूप से धार्मिक संसाधनों तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन नेविगेशन, महत्वपूर्ण मीडिया उपभोग और आभासी चर्चाओं में भागीदारी जैसे कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए भी सक्षम बना सकती है, जिससे वे धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बारे में बहस में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें।

लिंग और पर्यावरण नीतियों का एकीकरण

लिंग, धर्म और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रतिच्छेदन समावेशी नीति-निर्माण के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। धार्मिक प्रथाओं का अक्सर पारिस्थितिक निहितार्थ होता है, जैसे धार्मिक समारोहों के दौरान नदियों का प्रदूषण या अनुष्ठानों में असंवहनीय सामग्रियों का उपयोग। **पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ** पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समावेशिता को एक साथ संबोधित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है, लेकिन यह तब पूर्ण नहीं हो सकता जब यह लैंगिक समानता जैसे अन्य अधिकारों के साथ टकराव करता है। सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों, तकनीकी प्रगति और पारिस्थितिक चुनौतियों द्वारा आकार लिए गए तेजी से बदलते परिवेश में, धार्मिक स्वायत्तता और महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है। भारत का बहुलवादी विधिक ढांचा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक आधार प्रदान करती है।

संदर्भ:

भार्गव ,र .(2010) .*भारत में धर्मनिरपेक्षता और उसकी जटिलताएं* .सेज पब्लिकेशन।

हसन ,ज़ .(2018) .*धर्म ,लिंग और राजनीति :भारत में एक अध्ययन* .सेज पब्लिकेशन।

शिवा ,व .(1993) .*इकोफेमिनिज्म* .ज़ेड बुक्स।

ओबेरॉय ,पी .(2006) .*धार्मिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण* .ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

कौशल ,एम .(2012) .*भारतीय विधि और व्यक्तिगत कानून :एक संवैधानिक दृष्टिकोण* . यूनीवर्सल पब्लिकेशन।

पटेल ,एस .(2018) .*धर्म और महिला अधिकार :भारत का परिप्रेक्ष्य* .ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन।

शर्मा ,ए .(1998) .*धर्म और पितृसत्ता :एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण* .मोतीलाल बनारसीदास।

भट्ट ,डी .(2005) .*धर्म और न्यायपालिका :भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण* .ईस्टर्न बुक्स कंपनी।

भारद्वाज ,आर" .(2020) .धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता :भारतीय न्यायिक प्रणाली का विश्लेषण ."*इंडियन लॉ रिव्यू*135-120 ,(3)5 ,।

सिंह ,पी" .(2019) .समानता और धार्मिक अधिकारों के बीच संघर्ष :भारतीय संविधान में चुनौतियां ."*जर्नल ऑफ कान्स्टिट्यूशनल स्टडीज*60-45 ,(1)8 ,।

शर्मा ,एन" .(2017) .समान नागरिक संहिता :एक विधिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ." *सोशियोलॉजिकल रिव्यू ऑफ इंडिया*101-89 ,(2)15 ,।

नायर ,के" .(2021) .धार्मिक अधिकार और लैंगिक असमानता :भारतीय न्यायपालिका की भूमिका ."*इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस*160-145 ,(4)22 ,।

अली ,एफ" .(2020) .मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण :भारत में विधिक सुधार ."*जर्नल ऑफ मॉडर्न लॉ स्टडीज*112-98 ,(3)18 ,।

पांडे ,आर" .(2018) .धार्मिक परंपराओं का महिला अधिकारों पर प्रभाव :भारतीय परिप्रेक्ष्य ." *इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज*80-66 ,(4)12 ,।

रॉय ,डी" .(2019) .समान नागरिक संहिता :भारत में विधिक चुनौतियां और संभावनाएं ."*जर्नल ऑफ इंडियन लॉ एंड जस्टिस*115-101 ,(2)20 ,।

Disclaimer/Publisher’s Note:
The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.